

(1100/CS/AK)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 1, महासचिव।

... (व्यवधान)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I have given a notice for Adjournment Motion. ... (*Interruptions*) Millions of rubber farmers are starving. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। शपथ होने दीजिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लीडर हैं। आप इन्हें कुछ समझाइए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, क्या करें?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। संसद की परम्पराएं होती हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, उनको बोलने दिया जाए।

... (व्यवधान)

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

उत्तर प्रदेश

श्रीमती डिंपल यादव (मैनपुरी)

(प्रश्न 61)

श्री नकुल के. नाथ (छिंदवाड़ा): सर, मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, उसके चार बिन्दु हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें एक साथ पढ़ सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें। इसके बाद आपको एक सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का भी अवसर मिलेगा।

SHRI NAKUL K. NATH (CHHINDWARA): Will the Minister of Finance be pleased to state about the collection of the Goods and Services Tax (GST) from the State of Madhya Pradesh during each of the last four years? What was the amount of the GST compensation released by the Government to the State of Madhya Pradesh during the same period?

प्रो. सौगत राय (दमदम): यह तो इसमें दिया हुआ है। You should ask your supplementary Question.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इससे संबंधित सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछ लें, जो आप पूछना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं, एक बार यह इनका प्रयास है। आप बोलिए, कोई बात नहीं, आपको पर्याप्त मौका दूँगे।

SHRI NAKUL K. NATH (CHHINDWARA): What is the amount of GST compensation due to the Government of Madhya Pradesh from the Central Government? Does the GST Council intend to consider the demand of the State Government of Madhya Pradesh to increase the GST compensation for five additional years, and if so, what are the details thereof? Thank you

(1105/KN/SPR)

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष जी, वैसे तो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो पाँच साल का डेटा भी उनको दे दिया गया है। जहाँ तक जीएसटी मुआवजे को पाँच साल से बढ़ाने का सवाल है, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद के कानून द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जीएसटी एक्ट लागू होने के कारण राज्यों को राजस्व हानि के लिए पाँच साल तक कम्पनसेशन प्रदान करेगी। इस मुआवजे का भुगतान करने के लिए केन्द्र सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं?

श्री नकुल के. नाथ (छिंदवाड़ा): सर, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब जी।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The last part of Question No. 61 has not been answered, or it has been deliberately done. My question is in two parts. One is relating to GST compensation, which is due to Odisha for 2021–22 and 2022–23. I would say an amount of Rs. 3,251.53 crore for the years 2021–22 and 2022–23 is yet to be released in favour of Odisha towards GST compensation for the loss of revenue on account of the implementation of GST. I would like to know from the hon. Finance Minister whether she intends to pay the remaining GST compensation, as the Council has already decided that the money must be released every two months; it has yet to be released despite the fact that it was supposed to be released in April.

I would also like to understand whether, after the completion of five years as per the constitutional provision, the Government is going to increase the provision of compensation, which was completed by last June. Thank you.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, thank you for giving me permission to answer as the Minister of State was responding to the question.

In particular, about the dues for Odisha, as of June, the provisional figure for Odisha is Rs. 528.95 crore, which is pending as compensation. The larger issue of compensation pending, will we be giving it? It has been explained periodically. Since its inception five years ago, compensation has been expected to be provided, which we are committed to and have been doing continuously. If I were to put it in some kind of order—how much is pending—if I were to go by month, the last month was June, when compensation had to be given. Of the June amount, nearly half has already been paid; therefore, for the other half, we are waiting for adequate collection to happen because it has to be given from the compensation cess, which goes into a public account, from where it is given.

Half of the compensation that needs to be paid was released in June. There was no more money available for me to release the rest of the half. Otherwise, there is nothing pending for me to give in the sense that all that has been collected has been disbursed. But the GST compensation has already been extended till 2026 to pay for the loans that were taken, back-to-back to the States. In 2020, when collections were not at all there, and that has to be repaid

only from the cess payment because it is the loan taken to pay compensation cess.

In order to pay for that repayment, that is, for the loan taken and the interest thereon, to service it, the period was extended for a period of five years, but for the borrowed amount, it was extended till 2026 already.

(1110/UB/RV)

The other explanation which may apply to some States and which may not apply to some other States is, if the States have not sent us the Accountant General's approved statements that the State has to get this much of compensation, the statement has to be authorised by the respective State's Accountant General, or if there is a delay in the Accountant General's certified claims from the State, obviously, that would still be pending. So, if the Accountant General's certificate comes along with the claim from the State, at that moment, that money will also get released. I want to say from our side that we are up to date. As much money that is there for me to distribute, we have distributed and we are up to date again for all the claims which have come from the States that were approved by the respective Accountant Generals. We have paid. If the Accountant Generals have not cleared or it is pending, I would request the State Governments to kindly expedite that. I am willing to clear it the moment I get it.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, hon. Speaker. It is gracious of you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ कर नहीं, खड़े होकर प्रश्न पूछिए।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The hon. Finance Minister has made an interesting statement because we heard last week from the Finance Minister of the State of Kerala that Kerala is yet to receive Rs. 4,466.89 crore as goods and services tax compensation since 2017-18 fiscal year and they claim that according to their audited calculations, there is a shortfall in five of the last six years except for the 2019-20 fiscal year, when you actually paid a bit of an excess, the rest, according to their calculations, have fallen short. I gather the Finance Minister of the State of Kerala came to see you. Would you clarify for us and for the House what the exact position is with regard to the GST compensation for Kerala?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Again, as of June, for Kerala, it is Rs. 780.49 crore only. It is Rs. 780.4916 crore if you want the fourth decimal as well. Yes, the Finance Minister of Kerala met me. He gave me some details of the claims. That State believes that that is pending. I would also like to believe that it is pending because I need the necessary papers to clear it. Hon. Speaker, Sir, the moment the papers reach me of that certification which is required and if there is a contention between the Centre and State, it has to be sorted out and till then, it is pending from both sides. I cannot be sitting on somebody's money if all the papers which are so required are before me. It is impossible. But, of course, if there is a dispute, after all, I am dealing with the tax payers' money, I need to have a legitimate way of sorting it out with the Accountant General, with the Finance Minister, and with the officials of the State as much as all of us here.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Is there a difference in the method by which you calculate the shortfall?

HON. SPEAKER: No, please sit.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, these are, of course, officials who will be engaging on it. Therefore, is there a difference, is there no difference, the fact that it is pending for this long time, yes, there is a difference, but it is a sortable difference.

(ends)

(प्रश्न 62)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मैंने सीएसआर से संबंधित एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा था। उन्होंने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि सरकारी बैंकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं होता, इसलिए क्या इन पर सामान्य सीएसआर लागू नहीं होता है? अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सीएसआर निजी बैंकों पर लागू है?

यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा कितनी धनराशि राजस्थान में खर्च की गई है? यदि नहीं, तो सरकार इसके बारे में क्या विचार कर रही है?

डॉ. भागवत कराड : माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट, 2013 के हिसाब से निजी बैंकों पर सीएसआर लागू होता है। बहुत सारे बैंकों के चार्ट मेरे पास हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले तीन सालों में सीएसआर पर जो राशि खर्च हुई है, उसमें जो सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है, उसने टोटल 1906 करोड़ रुपये का सीएसआर दिया है, आईसीआईसीआई बैंक ने 602 करोड़ रुपये दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : उसका जवाब तो आपने दे दिया, पर आप यह बताएं कि राजस्थान में क्या खर्च हुआ है?

डॉ. भागवत कराड : सर, सीएसआर की राशि जो खर्च होती है, वह नेशनल पॉलिसी के आधार पर होती है। इसमें स्वच्छ भारत कोष, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, पी.एम. नेशनल रिलीफ फण्ड इत्यादि हैं। इसलिए पूरे देश के बैंकों में जो प्रॉफिट होता है, उसका सीएसआर पूरे देश में खर्च होता है, राजस्थान या किसी खास राज्य के लिए अलग से हो, ऐसा कुछ नहीं है।

(1115/KMR/MY)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मेरा एक दूसरा निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि पिछले तीन वर्षों में सीकर सहित राजस्थान में कितनी धनराशि सरकारी कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत खर्च की गई है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि हम देश के बारे में सोचते हैं, राज्यों के बारे में सूचना नहीं है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मैं सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न बैंकों से संबंधित था।

माननीय अध्यक्ष: अब कंपनियों के अंदर भी यही मॉडल लागू हो, जो बैंक के अंदर है।

मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। अलग से मॉडल थोड़े ही बन जाएगा।

DR. BHAGWAT KARAD: Sir, the same model is applied to the public sector units also.

माननीय अध्यक्ष: आप बताइए कि बैंकों और दूसरी कंपनियों के क्या अलग-अलग मॉडल है?

माननीय मंत्री जी, अब आप जवाब दें।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, just for the sake of clarity, corporate social responsibility is a part of the Companies Act. Every institution which is registered as a company comes under corporate social responsibility. However, banks are registered under the Bank Nationalisation Act. They are not companies. So, when we expect banks to spend their CSR funds, they spend according to the guidelines given by the RBI. Strictly speaking, the RBI guidelines and the CSR guidelines under the Companies Act largely align with one another but they are different. That is because the banks come under the Bank Nationalisation Act, and the companies otherwise are under the Companies Act. So, if you go detail by detail, the CSR guidelines under the Companies Act may not exactly fit into this because banks, particularly the public sector banks, are under the Bank Nationalisation Act, and they follow the RBI guidelines as regards corporate social responsibility. I just want to put this in front of the hon. Members in principle so that we know the difference between the two.

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष जी, जो कंपनियाँ जिस स्थान पर हैं, जहाँ पर उन कंपनियों का उद्योग लगा है, क्या उस क्षेत्र के अंदर जो उसकी तहसील व जिला है, उसके द्वारा जेनरेट सीएसआर को उस क्षेत्र के अंदर लगाना मैनडेटरी है? क्या मंत्रालय की ऐसी कोई योजना भविष्य के लिए है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: जिस क्षेत्र में कंपनी है, उसी क्षेत्र में खर्च करना है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है। अभी भी जहाँ पर उस कंपनी की प्रेजेंस है, ... (व्यवधान) यह मैनडेटरी नहीं है, मगर बोर्ड का निर्णय है। Sir, it is a process which is largely driven by the company's Board. बोर्ड जैसे एक सब-कमेटी सीएसआर के लिए रखती है, उसके द्वारा निर्णय होते हैं कि कहाँ और कौन-सी स्कीम के लिए खर्च करना है। अगर उसी इलाके और ताल्लुक में करना है तो बोर्ड निर्णय कर सकता है। उसके लिए डायरेक्शन और सरकार के द्वारा उसको मैनडेटरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रपोज़ल मेरे सामने नहीं है। इसे करना उचित है या नहीं है, वह भी सोचने लायक है। क्योंकि, कंपनी के अंदर कितना सरकारी इंटरफियरेंस हो सकता है, वह भी चर्चा के लायक विषय है।

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Mr. Speaker, Sir, the Neyveli Lignite Corporation Ltd., is working in Neyveli in Tamil Nadu, but they are spending their CSR funds not only in Tamil Nadu but also in other States. Especially during COVID, they spent more money in Karnataka and other States than in Tamil Nadu. I would like to know from the hon. Finance Minister if there is any specific guideline to restrict the spending of CSR funds to the particular State in which a company or an industry is working.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the answer given to the earlier question is applicable to this. There is nothing which restricts anybody, and at the same time there is nothing which tells them to do it this way or that way because it is the company's Board that takes the call.

(1120/CP/RCP)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह जो नियम बने हैं, उसके मुताबिक दिया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। यह सभागृह नियमों में बदलाव करने के लिए है, ऐसा मुझे लगता है। मैं चाहूँगा कि सीएसआर फंड का जो अमाउंट है, उसमें से एक पर्सेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाए और बाकी का एक पर्सेंट उस-उस राज्य में खर्च किया जाए, जिसके लिए मांग है।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता होगा कि शुरुआत में जब प्रधान मंत्री जी ने योजना लागू की, तो उस भाग के एमपीज़ को बुलाकर जहाँ सीएसआर फंड का काम होता है, उन्हें बुलाया जाता था और फोटो निकाला जाता था। मैंने पूछा कि छोटे कामों में हमें क्यों बुलाते हो? वे बोले कि हमें फोटो भेजना पड़ता है। इन दिनों वह सब बंद हो गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सम्मान या गरिमा को बरकरार रखने के लिए क्या आने वाले दिनों में नियम में कोई बदलाव करेंगे?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, यह सुझाव है।

(इति)

(Q. 63)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, during COVID 19 and post-COVID 19, many children, including a lot of tribal children, who were pursuing higher education, dropped out. We all know the reasons like family loss, financial loss, etc. I would like to know whether the Ministry has taken any steps to bring back those children to the universities. Is any financial assistance or any other kind of support provided to them? Is there any data regarding how many children who had dropped out returned to the universities?

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Speaker, Sir, the Member has raised a good question. I would like to inform that according to the data in the Ministry, in higher education, gradually, GER is increasing day-by-day. Starting from 2012-13, it was 11.1 per cent. Now, it is 18 per cent. Naturally, it is a continuous process always to take the dropout children to the higher education. That is why we have also built another tribal university in Andhra Pradesh in 2019.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): A Central University has been set up in tribal-dominated Koraput district. But from the point of view of infrastructure and manpower, the university seems to be a neglected one. My question to the hon. Minister is this. What is the total number of vacancies in the teaching and non-teaching positions in the Central University in Koraput in my State, that is Odisha and when these positions will be filled up?

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Speaker, Sir, the question is on the tribal universities, and Koraput University is not a tribal university. We have detailed data on the tribal universities. If the Member comes and meets me, I will tell her.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): स्पीकर सर, आदरणीय सदस्या ने अपने राज्य के बारे में पूछा है। यह बात सही है कि लंबे समय से कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होनी चाहिए, वह कई कारणों से नहीं हो पाई है। मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। इन दिनों वहाँ लंबे अर्से के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है। कोरापुट समेत देश की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसीज़ लगभग 30 पर्सेंट प्लस है। सरकार की योजना है कि एक साल के अंदर दस लाख नियुक्तियां दी जाएं। उसमें शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में दो हजार नये प्रोफेसरर्स, एसोशिएट प्रोफेसरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसरर्स की नियुक्तियां हुई हैं।

उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की भी नियुक्तियां हैं तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और एनआईआईटीज की भी नियुक्तियां हैं।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनजाति क्षेत्र में पहली बार शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे एकलव्य रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल्स हैं। इस प्रकार से जो व्यवस्था की जा रही है, उससे जनजाति क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

(1125/NK/RK)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक में 75 कोर्सेज चल रहे हैं, परंतु इन कोर्सेज का पूरा लाभ जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी जनजातीय बाहुल्य जिले हैं, क्या उनमें स्टडी सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि जनजातीय क्षेत्र को इसका पूरा-पूरा लाभ मिले?

डॉ. सुभाष सरकार: माननीय स्पीकर सर, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का विजन है कि सारे ट्राइबल बच्चों का अच्छे से एक्सेस हो, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसके लिए ही यह यूनिवर्सिटी बनी है। इसके साथ-साथ वहां ट्राइबल आर्ट, कल्चर और मेडिसीन के बारे में भी चर्चा हो। इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और गांव के बच्चे भी ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये सारी पढ़ाई होती है। इसके साथ-साथ जब जरूरत होती है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में है, उसका ट्राइबल कैम्पस भी खोला जाता है।

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Sir, as per 2011 census, Tamil Nadu has 7.21 lakh tribal population. To promote higher education and to preserve the culture and tradition of the tribal communities, has the Ministry of Education got any plan to set up a Central Tribal University in the State of Tamil Nadu, particularly in Pachamalai tribal area of my Perambalur constituency; if so, what are the details thereof?

DR. SUBHAS SARKAR: I would like to inform the hon. Member, through you, Sir, that our Government is very much dedicated to the development of tribal population in every sphere, and that includes education also. Under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, a tribal lady teacher has become our Mahamahim Rashtrapati. It is being praised all over the world.

Setting up of a Central University is a continuous process, and it is being set up as and when need arises. At present, there is no such proposal from any State.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सूची में है, एक बार नाम तो लीजिए, किसने शुरू किया था। ... (व्यवधान) आप जवाब में देखिए।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं सीमांचल से आता हूँ जो एजुकेशनली सबसे डेप्रिवेड एरिया है, इसी को देखते हुए यूपीए गवर्नमेंट ने वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक शाखा दी थी। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने जनवरी, 2014 में उसका शिलान्यास किया था। इसके लिए 136 करोड़ रुपये सैंक्शन्ड किए गए थे, जिसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपये दिये गये।

आप सब जानते ही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से आपने पैरवी भी की थी। उसके बाद कई मर्तबा अलीगढ़ मुस्लिम सेंटर के लिए फंड मांगा गया। 24 मार्च, 2022 को 354 करोड़ रुपये मांगे गये, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सितम्बर, 2021 में यूजीसी सैंक्शन्ड 29 टीचिंग और 19 नॉन-टीचिंग स्टाफ की मांग की गई थी, जिसे अभी तक नहीं दिया गया। इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

बीजेपी पिछले कुछ महीनों से पसमांदा मुस्लिमों की बात कर रही है, हमारा पूरा सीमांचल पसमांदा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे और जो 354 करोड़ रुपये किशनगंज के लिए मिलने थे, उसे कब तक देंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया।

(1130/PS/SK)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Question No. 78 is with regard to vacancies for Scheduled Castes. ... (Interruptions)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I know. ... (Interruptions) I can club it. ... (Interruptions)

आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने कई बार कहा है और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की दो शाखाएं हैं, जिनके बारे में केरल की आदरणीय सदस्य कई बार बात उठाती हैं। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मुर्शिदाबाद भी है। ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: दादा, क्या इन दिनों में मैडम से कुछ अनबन हुई है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: आपने सही कहा, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। ... (व्यवधान) आपने सही कहा कि मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम, दो जगह पर एएमयू की प्रक्रिया तहत, थ्रू द प्रापर प्रोसेस दो एक्सटेंडेड कैम्पस खोले गए हैं। जब जावेद भाई बार-बार मिले तो मैंने एक बार सारी फाइल पढ़ी। जावेद जी, सीमांचल से आते हैं, उनका आग्रह वाजिब है, थोड़ा इसे समझा जाए।

सर, मैं जिम्मेदारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी वर्ष 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया क्योंकि कोई प्रॉसेस्ड प्रक्रिया एएमयू के सीमांचल के कम्पस के बारे में, किशनगंज के कैम्पस के बारे में नहीं मिल रही है। यह बेसिक प्रॉसेस है। एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसे लमसम ग्रांट इधर से देते हैं। जैसे-जैसे सदस्य मिलते हैं, हम आग्रह करते हैं कि इनकी भी चिंता करें।

मैं सीमांचल के इलाके में घूमा हूँ, मैं उस इलाके की आवश्यकता के बारे में जानता हूँ। यद्यपि शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट का रोल है। ... (व्यवधान) हम चाहते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन वर्ष 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, अधूरी बात रखी गई। आधे मन से करने के कारण, एएमयू, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, हमें इसे करने में दिक्कत हो रही है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप असत्य की बात करते हैं। असत्य बात क्या होती है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जवाब दें। इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैंने असत्य बोला। ... (व्यवधान) जिन्होंने भी वर्ष 2010 में एएमयू की एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वह असत्य बात कही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ... (व्यवधान) हमें आपत्ति नहीं है। ... (व्यवधान) मुर्शिदाबाद में खोला, हमें आपत्ति नहीं है। ... (व्यवधान) माल्लापुरम में खोला, हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं।... (व्यवधान) लेकिन इनको राजनीति ही करनी है, लोगों को गुमराह करना है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि इस प्रकार की बातों का कोई अंत नहीं है।... (व्यवधान)

(इति)

(Q.64)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Thank you, hon. Speaker, Sir.

In the skill development sector, as compared to the urban areas, the number of RPL is quite low in the rural areas, which affects the rural economy and migration from rural areas to urban areas as well. For example, in a rural area, if any candidate gets trained in auto-mobile repair sector or in any other sector, he can start his business, and indirectly, it will help the rural economy and stop migration. Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government is planning for upgrading the skills of workers in the unorganised sector at Gram Panchayat level which will ultimately improve rural economy and stop migration.

(1135/SMN/MK)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Hon. Speaker, Sir, the Member has asked an important question but I would like to respond to it a little comprehensively.

Sir, the RPL is part of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It is a part of our short-term training programme. The RPL has been made necessary because when our Government came into effect in 2014, the Government had to inherit a large pool of unskilled workforce in the informal sector. The numbers of workforce in 2014-15 were estimated to be over 30 crores that were unskilled. This is the legacy that this Government had to deal with and in addition, 1.6 crore of age 15 and above were joining the workforce as unskilled every year. In that process, we have over the years, skilled over 1.4 crores in the short term programmes of which 54 lakhs have been in the RPL. It is true and I take into account the suggestion made by the hon. Member that we must increase RPL Programmes and RPL coverage in rural areas.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Hon. Speaker, Sir, the main objective of Pradhan Mantri Kaushal Kendra was that the Government will support these centres till they self-sustain. After that, the skill development centres will develop themselves. But after a long time, it has to be seen whether they had achieved the set target. It is because there are near about 700 PMKV Centres. So, through you, I want to ask the hon. Minister that after the support provided by the Government for a long time, whether these PMKV centres are achieving their goal compared to other training providers. Is the Government planning to give direct support to the local training providers so that the skill development sector will grow fast?

श्री राजीव चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे 700 पीएमकेकेज हैं और उन्होंने पिछले सालों में काफी अच्छा काम भी किया है। लेकिन, कोविड के दौरान हमारे स्किलिंग एक्टिविटीज में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन हुआ था। पीएमकेकेज की जो एक्टिविटीज हैं, उनमें भी काफी डिस्रप्शन हुए हैं। हम इनको आगे रिवाइव करने की कोशिश में हैं। एक नया प्रोग्राम, मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके सुझाव को हम जरूर मन में रखेंगे।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, आपको भी जवाब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि हम लोगों ने वर्ष 2014-15 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय विकास निगम के माध्यम से 1.46 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि जिन लोगों को हमने कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग दी है, उनका हाल के समय में सर्वेक्षण करके कुछ अंक प्राप्त किए हैं कि अभी उन लोगों का क्या हाल है और अभी उनके जीवन में क्या सुधार आया है? क्या इसके बारे में हमने कोई सर्वेक्षण किया है? कृपया इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए।

मेरा दूसरा विषय यह है कि हम लोगों ने जो भी काम एनएसडीसी के माध्यम से किया है, पता चलता है कि वे लोग चार-छः महीने काम करते हैं और बाद में फिर वापस आ जाते हैं। क्या हम लोग कुछ माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से कोर्स चालू कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को स्पेशियली एनएसडीसी की जरूरत न पड़े? उसके लिए क्या आप कोई ऐसा प्रावधान करने या कोई सिलेबस लाने के बारे में सोच रहे हैं?

श्री राजीव चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने सर्वे के बारे में और इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा है। कोविड से पहले हमारी यह एक रेगुलर प्रक्रिया होती थी। जैसा मैंने कहा कि कोविड के दौरान काफी सारे डिस्रप्शन हुए हैं, हम इम्पैक्ट असेसमेंट को फिर से शुरू करने के प्रयास में हैं।

इन्होंने दूसरा सुझाव दिया है कि हम स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट का सर्वे करें, तो यह एक अच्छा सुझाव है और हम इसको ध्यान में रखेंगे।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Thank you, Sir.

I want to know whether the Government is planning to conduct special job fairs or job melas this year for the youth especially in the State of Kerala under PMKVY. If so, please give the details, Sir.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, the basic question pertains to RPL and this issue is outside the scope of the question. But may I respond that the Government is actively conducting Prime Minister Rojgar Melas and Pradhan Mantri National Apprentice Melas. उसका इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है।

(ends)

(1140/SJN/SNB)

(प्रश्न 65)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि माननीय वित्त मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी की टू फॉलोवर हैं। वित्त मंत्री जी हमारे प्रदेश से हैं। I remember one statement which was made by hon. Prime Minister. जब वे मुख्यमंत्री थे, तब डॉलर की वैल्यू 66 रुपये थी।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : महोदय, यही प्रश्न है। मैं और नरेन्द्र मोदी जी एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप बस मौका दीजिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : महोदय, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। I can quote his statements and also follow his directions for the economy. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कहा है कि प्रश्न काल में आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : महोदय, रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार को न देश की रक्षा की चिंता है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह आपका प्रश्न है? आप इससे संबंधित प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : महोदय, यही प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : अध्यक्ष महोदय, आप इंटररप्टन नहीं कर सकते हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, आप सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सदस्यों को यह समझा दीजिए कि कभी अध्यक्ष पर टिप्पणी करके यह न कहें कि आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। यह मेरा अधिकार है। आज से आप सब समझ जाइए। मेरे पास अधिकार है। ऐसा कभी नहीं होगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सुन लीजिए। मैं सबको बता रहा हूँ। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को क्वोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनकी हिन्दी थोड़ी कमजोर है। आप उनको मौका दीजिए। वे आपसे मौका मांग रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने हिन्दी में बोला है, इंग्लिश में नहीं। यह ऑन रिकॉर्ड है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, वह आपसे मौका मांग रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, यह आपका अधिकार है। मैं सबको मौका देता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का मेंबर हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, तो मेरी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी पूरी रक्षा करूँगा।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से गांव से चुनकर इतनी दूर आया हूँ, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। इसलिए हमारी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज सरकार को बस अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, रुपये को गिरने से बचाने की कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब रुपये की वैल्यू 66 थी, वह आईसीयू में चला गया था। माननीय वित्त मंत्री जी के जवाब के अनुसार और आज की तारीख में डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू 82.20 है। आईसीयू से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता ठीक होकर घर आना है और दूसरा रास्ता मॉर्चुरी जाना है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू 82.20 थी, तो हम सीधे-सीधे मॉर्चुरी जा रहे हैं।

इसीलिए मैं हमारी वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि रुपये को आईसीयू से घर लाने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान है? मेरा और नरेन्द्र मोदी जी का एक ही सवाल है। आप ऐसा कब करेंगे? मेरा एक और सवाल है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने का मौका दूँगा।

... (व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : महोदय, माननीय सदस्य तेलंगाना राज्य से चुनकर आए हैं। वे कह रहे हैं कि उनकी हिन्दी कमजोर है, लेकिन मेरी हिन्दी भी कमजोर है। फिर भी मैं कमजोर हिन्दी से कमजोर हिन्दी को जवाब दे रही हूँ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बैठे हुए किसी भी सदस्य का जवाब मत दीजिए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, वे उनके उस बयान को लेकर अभी सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सही है, सवाल पूछना आवश्यक है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, यह तो मैं तय करूँगा। यह आप नहीं तय करेंगी कि क्या पूछना है। उनको किस तरह का सवाल पूछना है या नहीं पूछना है, यह मैं तय करूँगा।

... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, वह सही बात है। अगर वे कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, क्योंकि पूरी इकोनॉमी आईसीयू में थी।... (व्यवधान)

(1145/YSH/RU)

सर, विपक्ष के नेता को बैठकर सुनना चाहिए।... (व्यवधान) जब तक वे खड़े हैं, तब तक मैं भी खड़ी रहूंगी। मुझे जवाब देने का पूरा मौका मिलना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, लेकिन आपका रिकॉर्ड में जा रहा है।

... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : उस समय पूरी की पूरी इकोनॉमी आई.सी.यू. में थी।... (व्यवधान) पूरी दुनिया ने भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा था।... (व्यवधान) उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। सर, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत है।... (व्यवधान) आज पेंडेमिक के बावजूद भी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।... (व्यवधान)

मैं आज भी कह रही हूँ कि रुपये के विषय पर आज बहुत से लोगों को अन्दर से जलन हो रही है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। क्या आपको आपके मैम्बर का जवाब नहीं सुनना है? अगर आप अपने मैम्बर का जवाब नहीं सुनेंगे तो मैं प्रश्न को क्रॉस कर दूंगा।

... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, इस सदन में दुख की बात है कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छे से चलती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसके ऊपर जलन भावना से बात करने वाले लोग यहां पर हैं।... (व्यवधान) यह बहुत दुख की बात है। जब देश आगे बढ़ रहा है तो सबको उस पर गर्व करना चाहिए, न कि मजाक उड़ाना चाहिए।... (व्यवधान) यह मजाक उड़ाने की बात नहीं है।... (व्यवधान) हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आज ये लोग भारत की इकोनॉमी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।... (व्यवधान) इन्हें आनन्द लेना चाहिए। यह मजाक की बात नहीं है। इन्हें ... (Not recorded) आनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपको कोई तकलीफ है? क्या आपने प्रश्न पूछा है? यह प्रश्न काल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप प्रश्न काल के बीच में मत खड़े होइए।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): स्पीकर सर, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरी लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किया है।... (व्यवधान) यह ठीक नहीं है। क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मुझे स्वच्छ हिन्दी नहीं आती होगी, वह ब्राह्मणवादी होंगी, उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी।... (व्यवधान) यह कोई प्रॉब्लम नहीं है।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, ऐसे नहीं होता है। ये यहां पर हाउस का तुष्टीकरण कर रहे हैं।... (व्यवधान) ये हाउस का किस आधार पर तुष्टीकरण कर रहे हैं?... (व्यवधान) सर, ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। ये ठीक बात नहीं कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): यहां अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 तक लोन्स का आँकड़ा 55 लाख 87 हजार 149 करोड़ रुपये का था।... (व्यवधान) पिछले आठ सालों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 18 लाख 748 करोड़ रुपये बोराइंग किए हैं।... (व्यवधान) 67 ईयर्स में जितनी भी सरकार आई थी, उन सभी लोगों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपये बोराइंग किए थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले आठ सालों में ही 18 लाख से अधिक करोड़ रुपये बोराइंग किए हैं। आप हर साल दस लाख करोड़ रुपये उधार मांग कर जी रहे हैं।... (व्यवधान)

इस सरकार ने देश का पूरा सर्वनाश, सत्यनाश कर दिया।... (व्यवधान) इसलिए मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर रुपये की ताकत बढ़ानी है तो आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को देखना है। इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है? पिछले 12 साल में हिन्दुस्तान में जितना इनवेस्टमेंट आया था, वर्ष 2022 में पाँच महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट करने के बाद वापस चला गया।... (व्यवधान) इस सरकार से फॉरेन इनवेस्टर्स का भरोसा चला गया है। इंडियन इनवेस्टर्स का भी भरोसा चला गया।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, इनको वह शब्द वापस लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, ले लिया है।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): क्यों लेना चाहिए वापस?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह फैसला मुझे करना है, आपको नहीं करना है।

... (व्यवधान)

(1150/SM/RPS)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the main Question was on currency devaluation and foreign exchange reserves. इसे मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ that in currency devaluation, the word 'devaluation' itself is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. आज भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म नहीं है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Then, why did you accept this Question?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। आपकी क्या प्रब्लम है।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the question has been given by the Secretariat. I am just giving the answer. Accepting or not accepting is not the choice of the Minister. Questions come to us and we are duty bound to give the answers. And in answering this question, if you permit me, Sir, I can explain.

The term 'devaluation' is used when there is a fixed exchange rate mechanism. If any rate goes up or comes down, we now term it as 'appreciation' or 'depreciation'. Devaluation is not used in this context.

I have explained very clearly the position of Indian currency vs. US dollar. I know that it has become a good fodder for all those who want to play around the social media in creating memes. For example, people make fun of me because I do not eat onions. But I do take care of onion-eating people. That is how they contribute in the debate.... (*Interruptions*)

सर, आप मुझे गाइड करें, जब मेरा उत्तर सही न हो... (*Interruptions*) Yes, many things are not relevant but they have been raised here. Sir, you can always stop me if I am wrong.

Indian rupee has been strong against every currency. That is proved and I can read the records. As regards US dollar, because of the policy adopted by US Fed, it is getting stronger and stronger. That has been already explained.

As regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used the foreign exchange reserve to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation does not go too much in the sense volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So, foreign exchange reserve was used by the Reserve Bank to some extent.

But today, you can find that in the last couple of weeks, the reserve is going up because of the flow of FDIs and FIIs. Now, each one of us can always prefer one over the other. Whether FDI is better than FII or FII is better than FDI – all these things can happen. But that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that the reserves are going up. So, at this time, it is not appropriate to say that the rupee is getting depreciated, the foreign exchange reserve is coming down or FDI people are running away. It is absolutely not proven by the data.

So, I would request the hon. Member to have a good look at the data to see how FDI is coming in India in a big way among all the emerging markets. India receives more than 50 per cent share of everything which goes to emerging markets. Of course, the data is available in my answer and also in the public domain.... (*Interruptions*) because of this kind of interference from hon. Leader of Opposition, my vocal cords are being teared by the level of his guttural power.... (*Interruptions*) I cannot match up the vocal powers of the Leader of Opposition.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना पूरा जवाब दें।

श्रीमती निर्मला सीतारमणः सर, जवाब दे दिया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिए।

माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि यह प्रश्न काल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूँ, इस धर्म से आता हूँ। आप इस सदन के अंदर वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहां जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर भेजती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में कोई भी न करे, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी भाषा पर, बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर इस सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे। प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

(1155/SPS/KKD)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपको कोई समस्या है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप बार-बार उठेंगे तो मैं आपको सदन से बाहर निकाल दूंगा। आप यह सुन लीजिए। अब सदन ऐसे नहीं चलेगा। सदन तरीके से चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको पर्याप्त मौका दिया है। प्लीज, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदन के विपक्ष के नेता, आप इनको समझाइए। यह तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : वह क्वेश्चन का जवाब दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या जवाब देना है, इसके लिए मंत्री जी आपसे गाइड नहीं होंगी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप मंत्री जी को सही जवाब देने के लिए थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिए। ... (व्यवधान)

(ends)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नं. 66, श्री कराडी संगन्ना अमरप्पा – उपस्थित नहीं।

डॉ. उमेश जी. जाधव – उपस्थित नहीं।

सुश्री महुआ मोइत्रा।

(Q.66)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, with your permission, I would just like to ask the hon. Minister that on the use of single use plastic, we have already got the Plastic Waste Management Rules, 2021. But those of us who come from rural areas or representing rural areas, find that this ban has not really been implemented, and this is still a problem.

What I am asking is: what is the alternative mechanism we are using? It is because still today, for most vendors, single use plastic remains the cheapest form. So, are we developing jute or cloth or anything at the same price point that people can actually pick up? It is because if you are bringing a law in, and not giving an alternative, that is why people are not accepting the alternative.

So, what are the other biodegradable options that the Government is trying to promote? Thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था तो हम लोगों ने विभिन्न व्यवसायी लोगों और छोटे उद्योग वालों को सेमिनार करके ऑल्टरनेटिव बताए थे। सिंगल यूज प्लास्टिक में ईयर बड्स विद प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक स्टिक बैलूनस और फ्लैग्स के ऑल्टरनेटिव में हमने पेपर क्लोथ के फ्लैग्स, बैम्बू कॉटन ईयर बड्स का काम किया है। ज्यादा से ज्यादा जो छोटी कटलरीज़ और बाकी के स्पूनस वगैरह हैं, वे भी हमने लकड़ी के दिए हैं। अगर आजकल आप विमान में भी यात्रा करते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इन चीजों का प्रयोग किया जाने लगा है। इनसे निश्चित रूप से लघु और कुटीर उद्योगों को लाभ मिला है।

इसके साथ ही साथ मंत्रालय इस बात पर भी काम कर रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं, उन उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक में जिन चीजों को बंद किया है, उसके अतिरिक्त जो छोटी प्लास्टिक की थैली आती है, हमने 75 माइक्रोन तक 30 सितंबर तक कर दी और अब दिसंबर के बाद 125 माइक्रोन लैंग्थ की प्लास्टिक की थैली भी बंद होगी। मैं सदस्यों से भी यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें सबको सहयोग देना चाहिए और अपने क्षेत्रों में जो वैकल्पिक कुटीर और लघु उद्योग हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इस संबंध में मंत्रालय से आपको कोई जानकारी या सहायता चाहिए तो हम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

(इति)

(Q.67)

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise my supplementary questions in Tamil.

*The Union Governments has written off several lakhs of Crores Rupees for the big companies. But those who have taken loans for pursuing higher education just account to 0.82 per cent. This Union Government is so keen in showing favour to the corporate companies. Students, who have availed education loans for pursuing higher education due to their poor economic background, have requested for waiving off such loans. Hon. Finance Minister has not acceded to waiving off such education loans of poor students. My question to the Union Government is this: Will it come forward to waive off all the education loans availed by poor students for pursuing higher education in the country?

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए, अन्यथा आपका टाइम 12 बजे पूरा हो जाएगा।
(1200/RP/RAJ)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड): माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन लोन और...।... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, since the hon. Member asked this question in Tamil, if you permit, I would like to reply in Tamil too.

*We have not waived off the loans availed by big companies. ...
(Interruptions)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): ... (Not recorded) ...
(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, ... (Not recorded) is an unparliamentary word, whoever used it. Will you please remove it?

(pp. 24-30)

*We have not waived off the loans availed by big companies. "Write-off" is something different from waiving-off. We should understand this. We have not written off to anyone. This is one point. Secondly, if there are NPAs and such NPAs are written off, on the basis of their securities submitted with the banks, we are collecting back those amounts from those companies.

This money is coming to the banks. You can very well suggest for waiving off the educational loans. But I want to humbly state that with an ill intention you cannot compare the money of the defaulters and the educational loans given to students. Hon. Member can very well suggest that the educational loans should be waived off. But he cannot state with ill intention that we have collected back the educational loans and given that amount to big companies. (interruptions...)

Sir, I am replying. There should not be any running commentary. You should stop someone giving a running commentary. We have not written off to anyone. It is wrong to say that by way of writing off we are taking that amount as our loss.

(ends)

प्रश्न काल समाप्त